रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 200] नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 23, 2007/श्रावण 1, 1929
No. 200] NEW DELHI, MONDAY, JULY 23, 2007/SRAVANA 1, 1929

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 23 जुलाई, 2007

सं. 24 (आर ई-2007)/2004–2009

फा. सं. 01/94/180/678/एएम 07/पीसी-1-पीटी.—विदेश व्यापार नीति, 2004–2009 के पैराग्राफ 2.4 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महानिदेशक, विदेश व्यापार एतद्द्वारा प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) में निम्नलिखित संशोधन करते हैं :–

1. ''कारपोरेट गारण्टी'' से संबंधित पैराग्राफ 2.20.1 को संशोधित करके निम्नानुसार पढ़ा जाएगा :–

''2.20.1 स्तरधारक अथवा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम भी इस संबंध में सम्बद्ध सीमाशुल्क परिपत्र के प्रावधानों के अनुसार बैंक गारण्टी/विधिक बचनबद्धता के बदले कारपोरेट गारण्टी प्रस्तुत कर सकता है। समूह कम्पनी के मामले में यदि समूह की एक कम्पनी स्तरधारक है, तो इस कम्पनी द्वारा अन्य कम्पनी के लिए कारपोरेट गारण्टी दी जा सकती है, जो स्तरधारक नहीं है।''

2. प्रक्रिया पुस्तक, खण्ड 1 के पैराग्राफ 2.33 के उप-पैरा 3 को हटा दिया गया है।

इसे लोकहित में जारी किया जाता है।

आर. एस. गुजराल, महानिदेशक, विदेश व्यापार एवं पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 23rd July, 2007

No. 24(RE-2007)/2004—2009

F. No. 01/94/180/678/AM 07-PC-I-Pt.—In exercise of powers conferred under Paragraph 2.4 of the Foreign Trade Policy, 2004—2009, the Director General of Foreign Trade hereby makes the following amendments in Handbook of Procedures, Vol. I :

1. Paragraph 2.20.1, relating to "Corporate Guarantee" shall be amended to read as under :—

   "2.20.1 A Status holder or a PSU may also submit Corporate Guarantee in lieu of Bank Guarantee/LUT in terms of the provisions of relevant Customs Circular in this regard. In case of a group company, if one company of a Group is a status holder, Corporate Guarantee may be given for another company by this company, which is not a status holder."

2. Sub-para 3 of paragraph 2.33 of Handbook of Procedures Vol. I stands deleted.

This issues in public interest.

R. S. GUJRAL, Director General of Foreign Trade and *Ex-officio* Addl. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054